सरकार बनाम सन्तू

/2005

र्गत नियम 14(4) भू–राजस्व अधिनियम बाबत आवंटन

आज्ञा वाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-17	पत्रावली पेश हुयी । उभय पक्ष उपस्थित/प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपूतली) द्वारा रिकॉर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी । उभयपक्षों को सुना गया । पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपूतली) ने अपने प्रकरण में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए निवेदन किया कि आराजी विवादास्पद साबिक आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 2 बीघा 10 बिसवा भूमि अप्रार्थी संख्या 01, संतू पुत्र सगरा निवासी गोनेडा तहसील कोटपूतली को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27/02/1976 को आवंटन की गयी थी । परन्तु आवंटीन द्वारा उसको अलाटमैन्ट की गयी भूमि को कभी काबिज होकर काश्त नहीं की । जबकि भू–आवंटन नियमों के अनुसरण में आवंटन की गयी भूमि को तीन वर्ष में काबिज काश्त की जाना आवश्यक है। आवंटन नियमों की पालना नहीं होने के कारण आवंटी के हक में गैर खातेदारी/खातेदारी स्वीकार नहीं की जा सकने के कारण उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जा सका। यानि आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया । तत्पश्चात् उक्त आराजीयात् के मौके पर खाली होने तथा राजस्व अभिलेख में राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज होने के कारण दिनांक 01/01/1993 को राजस्थान ओद्योगिक विकास निगम (रीको) को आवंटित कर दी गयी एवं राजस्व अभिलेख में भी उक्त विवादित आराजीयात तरतीवी अप्रार्भी संख्या 02 के नाम दर्ज कर दी गयी । आज भी उक्त आराजीयात पर आवंटी अप्रार्थी संख्या का कोई कब्जा काश्त नहीं है, बल्कि तरतीवी अप्रार्थी संख्या का ही रिकॉर्ड में नाम दर्ज है तथा कब्जा है, जो मौका रिपोर्ट दिनांक 10/02/2017 अतः अपील से भी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी के हक है, में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 निरस्त करवाया जावें । योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए पैरोकार सरकार के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि आवंटी को आवंटन के पश्चात् आवंटन की गयी भूमि का कब्जा के पश्चात् लगातार काबिज काश्त है। अप्रार्थी ने कोई अवहेलना नहीं की है। बन्दोबस्त की कार्यवाही चालू होने की वजह से राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त विभाग में चला गया ओर इसके बाद सन् 1980 में यह ग्राम तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में सम्मिलित हो जाने के कारण रिकॉर्ड में नहीं हो पाया, बल्कि सिवायचक ही दर्ज रह गयी ओर अप्रार्थी की कृषि की कब्जे काश्त की कृषि भूमि को सिवायचक मानकर रीको को बेच दी गयी । अप्रार्थी को आराजी विवादास्पद के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करने का पूर्ण दायित्व स्वयं प्रार्थी का था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया । प्रार्थी (लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली) की गलती की सजा अप्रार्थी (आवंटी) को नहीं दी जा सकती । कानूनी रूप से भी अब 30 साल के अन्तराल के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता । अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गयी भूमि से अप्रार्थी अलाटी को आवंटित की गयी भमि से बिना बेदखल किये एवं विधिवत किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 को निरस्त किये बिने तथा अप्रार्थी को नोटिस एवं सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही उसकी पीठ पीछे से तरतीवी अप्रार्थी रिको को पुनः किया गया आवंटन आदेश पूर्णतया न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत गैर कानूनी एवं अप्रासंगिक होने अप्रार्थी(आवंटी) के हक हकूकों के प्रति शून्य एवं बेअसर है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने तथा सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः	